

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 57 / 2025

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. हजारी राम पुत्र वीराराम जाति माली निवासी मालियों का बास, शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स चामुण्डा किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड शिव जिला बाड़मेर का विक्रेता व मालिक)
2. हरप्यारी देवी जेठा निवासी वार्ड नंबर 12 जेठा पाडा जैसलमेर (मैसर्स अनिल एजेंसी, कंधारी पाडा जैसलमेर की मालिक)
3. अंकुर कुमार दिनेश कुमार पावला निवासी अंबिका नगर, चंद्रलोक सोसाईटी रोड़, डीसा मुख्य डाकघर बनासकांठा गुजरात (मैसर्स जय वीर मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोडेक्ट, नवा धर्मपुरा, गांव-नवा तह.डीसा जिला बनासकांठा, गुजरात का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 07.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म चामुण्डा किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड शिव जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 02.01.2025 को खाद्य पदार्थ घी (श्रेष्ठ) 01-01 लीटर के 10 जार एक लकड़ी के रैंक में विक्रय हेतु पड़े थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार घी (श्रेष्ठ) में से 01-01 लीटर के 4 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2759 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्रेष्ठ) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्रेष्ठ) का नमूना अनसेफ पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह पेश किया कि अप्रार्थी की फर्म से बरामद सुदा घी से किसी प्रकार आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तथा न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत आम जनता द्वारा की गई है। प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद व मनघड़त तथ्यों के आधार पर श्रीमानजी के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है। जिस सैंपल के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है वह उचित प्रक्रिया के तहत नहीं लिया गया था। सैंपल लेते समय स्वच्छता और सिलिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे रिपोर्ट की सत्यता संदिग्ध है। अतः उक्त परिवाद खारिज फरमाया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** का मानक स्तर Not less than 99.5 के मुकाबले **98.36** पाया गया है, **B.R.R. Reading at 40 Degree C** का मानक स्तर 40-44 के मुकाबले **57.04** पाया गया है, **R.M. Value** का मानक स्तर Not less than 24 के मुकाबले **2.03** पाया गया है, **Iodine Value (Wij's method)** का मानक स्तर 25-38 के मुकाबले **86.15** पाया गया है, **Saponification Value** का मानक स्तर 205-235 के मुकाबले **180.17** पाया गया है एवं **Test for the presence of Vegetable oils** का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले **Present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह पेश किया कि अप्रार्थी की फर्म से बरामद सुदा घी से किसी प्रकार आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तथा न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत आम जनता द्वारा की गई है। प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद व मनघड़त तथ्यों के आधार पर श्रीमानजी के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है। जिस सैंपल के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है वह उचित प्रक्रिया के तहत नहीं लिया गया था। सैंपल लेते समय स्वच्छता और सिलिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे रिपोर्ट की सत्यता संदिग्ध है। अतः उक्त परिवाद खारिज फरमाया जावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 57/2025/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम हजारी राम व अन्य

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 40,000/-, अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 1,00,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 1,25,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह चांदावत) एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मैजिस्ट्रेट, बाड़मेर